आजीविका वर्धन व्यवसाय योजना

सिलाई (Tailoring)

सरस्वती स्वंय सहायता समूह
वी. एफ. डी. एस. बारिंग

एस.एच.जी. नाम	: :	सरस्वती स्वंय सहायता समूह
वी.एफ.डी.एस.नाम	: :	बारिंग
एफ.टी.यू./ रेंज	: :	पट्टन
डी.एम.यू. /मंडल	: :	लाहौल
एफ.सी.सी.यू. / सर्किल	: :	कुल्लू

हिमाचल प्रदेश वन परितन्त्र प्रबंधन एव आजीविका सुधार परियोजना

(जाईका वित्तपोषित)

अनुक्रमणिका

क्र0सं0	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	कार्यकारिणी सारांश	1-2
2	परिचय	3
3	स्वयं सहायता समूह की सूची	4
4	समूह का विवरण	5
5	ग्राम की भौगोलिक स्थिति	6-7
6	आय सृजन गतिविधि से सम्बंधित उत्पाद का विवरण	7
7	उत्पादन की प्रक्रिया	8
8	उत्पादन हेतु नियोजन	9-10
9	बिक्री का विवरण	10
10	समूह के मध्यप्रबंधन का विवरण	11
11	संभावित जोखिम व उनको कम करने के उपाय	12
12	परियोजना की अर्थ व्यवस्था का विवरण	12-14
13	उद्यम हेतु लागत - लाभ विश्लेषण	14
14	समूह की वित्तीय आवश्यकता	15
16	सम विच्छेदन बिंदु की गणना (ब्रेक इविन प्वाइंट)	15
17	स्वयं सहायता समूह के नियमों की सूचि	16
18	समूह का सहमती पत्र	17
19	समान रूचि समूह के प्रत्येक सदस्य के फोटोग्राफ	18

1.परिचय

हिमाचल प्रदेश के पश्चिम हिमालय क्षेत्र में स्थित पहाड़ी राज्य है। जो अपनी **प्राकृतिक** सुंदरता और समृद्धि संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। हिमाचल **प्रदेश** की जलवायु बहुत उपयुक्त है तथा अनेक छोटी-बड़ी नदियां व घाटियां प्रदेश की सुंदरता को बढ़ाती है। प्रदेश की कुल आबादी 70लाख है। इसका भौगोलिक **क्षेत्र** 55673 वर्ग किलोमीटर है जो कि शिवालिक पहाड़ियों के ऊपरी हिमालय के शीत मरुस्थल क्षेत्र तक फैला हुआ है।यहां कृषि व बागवानी मुख्य व्यवसाय है। हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में लाहौल जिला पर्यटन कृषि व जड़ी-बूटी के लिए प्रसिद्ध है।.

गांव जुण्डा , डा0 जाहलमा तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पीति ,हिमाचल **प्रदेश** में स्थित है। लाहौल जिले की घाटियों को भौतिक संरचना के आधार पर तरह-तरह के नाम दिए गए हैं, जिसमें एक नाम पट्टन वैली है। जुण्डा ,लाहौल मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।**यह जिला लाहौल स्पिति का दुर्गम जन जातीय** क्षेत्र है |

गांव जुण्डा मे लोगों का मुख्य **व्यवसाय** कृषि व बागवानी है। अधिकतर लोगों के पास बहुत कम जमीन है, जिसके कारण उनकी आजीविका का **निर्वाह** अच्छे ढंग से नहीं हो पा रहा है।

जीवन निर्वाह को अच्छा करने के लिए लोग नकदी फसल व बागवानी का कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। गांव में लोग बुनाई का कार्य भी कर रहे हैं, परंतु उत्पादन पारंपरिक तरीके से होता है। इससे उत्पादन कम और आय भी कम होती है। इस **समस्या** को दूर करने के लिए व उत्पादों का **उत्पादन** बढ़ाने के लिए इन महिलाओं को उन्नत किस्म के यंत्रों के बारे में जो इस उत्पादन के लिए उपयुक्त है, उनकी जानकारी की आवश्यकता है।

हिमाचल प्रदेश वन परितंत्र एवं **प्रबंधन** एवं आजीविका सुधार परियोजना ने गांव **में** ग्राम वन समिति बारिंग के गठन के बाद लोगों को आजीविका के साधन बढ़ाने के लिए समूह में कार्य करने के बारे में बताया। परियोजना के माध्यम से जुण्डा में "सरस्वती **स्वयं** सहायता समूह का गठन" किया गया। इसके बाद समूह ने सिलाई का कार्य करने का निर्णय लिया। इस समूह **में** 14 सदस्य शामिल हुए।

वी.एफ.डी.एस. बारिंग - पौध रोपण क्षेत्र

सरस्वती स्वयं सहायता समूह की सूची

क्रमांक	लाभार्थी का नाम व पता	पद	आयु	लिंग	योग्यता	श्रेणी	सम्पर्क
1	सन्तोष	प्रधान	46	स्त्री	द्सवी	अनुसूचित जन जाति	9015193346
2	मीना	सचिव	44	स्त्री	+2	अनुसूचित जन जाति	9418432307
3	रजनी	सदस्य	40	स्त्री	पाँचवी	अनुसूचित जन जाति	8219282353
4	प्रेम लता	सदस्य	52	स्त्री	अशिक्षीत	अनुसूचित जन जाति	9459515603
5	किरन	सदस्य	38	स्त्री	+2	अनुसूचित जन जाति	9015022171
6	निर्मला	सदस्य	54	स्त्री	सातवीं	अनुसूचित जन जाति	9418539605
7	बबीता	सदस्य	35	स्त्री	द्सवी	अनुसूचित जन जाति	9418953864
8	सरिता	सदस्य	42	स्त्री	आठवी	अनुसूचित जन जाति	9015163225
9	कमला	सदस्य	41	स्त्री	+2	अनुसूचित जन जाति	9015145818
10	देवन्ती	सदस्य	46	स्त्री	पाँचवी	अनुसूचित जन जाति	9015203756
11	संगीता	सदस्य	40	स्त्री	पाँचवी	अनुसूचित जन जाति	9015381884
12	टशी अंगमो	सदस्य	51	स्त्री	द्सवी	अनुसूचित जन जाति	8219847624
13	टशी पलमो	सदस्य	50	स्त्री	पाँचवी	अनुसूचित जन जाति	9418972794
14	शकुंतला	सदस्य	45	स्त्री	पाँचवी	अनुसूचित जन जाति	9015067909

सरस्वती स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का फोटोग्राफ

1. स्वयं सहायता समूह विवरण

1	समूह का नाम	**सरस्वती स्वयं सहायता समूह**
2	ग्राम वन विकास समिति	बारिंग
3	वन परिक्षेत्र / क्षेत्रीय तकनीकी इकाई	पट्टन
4	वनमंडल/ मंडलीय प्रबंधन इकाई	लाहौल
5	गांव	जुण्डा
6	विकासखंड	केलोंग
7	जिला	लाहौल- स्पीति
8	समान सूची समूह में कुल सदस्यों की संख्या	14
9	समूह के गठन की तिथि	
10	बैंक खाता संख्या	13260110037638
11	बैंक का नाम और शाखा जहां समूह का खाता संचालित है	यूको बैंक जाहलमा
12	स्वयं सहायता समूह की मासिक बचत	200
13	कुल बचत	
14	सदस्यों को आपस में दिया गया ऋण	0
15	नगदी जमा करने की सीमा	
16	चुकौती की स्थिति	6 महीने

2. ग्राम की भौगोलिक स्थिति–

1	जिला मुख्यालय से दूरी	30 किलोमीटर (लगभग)
2	स्थानीय बाजार का नाम और दूरी	जाहलमा ,2 किलोमीटर लगभग
3	प्रमुख बाजार का नाम और दूरी	केलोंग , 30 किलोमीटर
4	प्रमुख शहरों से दूरी	कुल्लू 132 किलोमीटर, मनाली 90 किलोमीटर
5	मुख्य शहरों के नाम जहां उत्पाद का विक्रय/ विपणन किया जाएगा	उदयपुर, कुल्लू, भुंतर, मनाली
6	प्रस्तावित आय सृजन गतिविधि के संबंध में गांव की कोई विशेष सूचना	कृषि व बागवानी करते हैं।

(1) व्यवसाय योजना की आवश्यता क्यों ?

ग्राम वन विकास समिति बारिंग में महिलायों का समूह गठित किया जिसमे समूह की सभी महिलाएं सिलाई –कटाई का कार्य करके अपनी आजीविका को बढाना चाहती है इसीलिए महिलायों ने समूह के माध्यम से JICA परियोजना से सिलाई की मशीने प्रदान करने तथा उचित प्रशिक्षण की मांग की है |

(2) व्यवसाय योजना के उदेश्य :

समूह की सभी सदस्यों की क्षमता का निर्माण करना |
समूह के लिए निरंतर आय के साधन उपलब्ध कराना |
उत्पाद को उचित बाज़ार से जोड़ना |
सभी सदस्यों को समूह में काम करने के लिए प्रेरित करना |
सिलाई व्यवस्या की नवीनतम एवं आधुनिक तकनीकों को बढावा देना |
आजीविका की बढोतरी |

(3) व्यवसाय योजना में निम्न कार्य शामिल हैं :

समूह के सदस्यों ने जेकेट और टोपी बनाने का कार्य करने का निर्णय लिया है |

(4) सामुदायिक गतिशीलता :

इसके अंतर्गत ग्रामीणों में जागरूकता एवं सामुदायिक गतिशीलता के उपरान्त आजीविका वर्धन के विकल्प का चयन किया गया है

(5) समूह का निर्माण :

स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को एकत्रित कर समूह का गठन किया गया है तथा समूह का अध्यक्ष ,सचिव व् कोषाध्यक्ष का सर्वसहमति से चुनाव किया गया है। समूह की सदस्यों की सहमती से समूह के लिए नियम एवं शर्ते निर्धारित करके उन्हें लागू करने का प्रावधान किया गया है।

(6) **क्षमता का निर्माण:**

लाभार्थियों की क्षमता निर्माण हेतु उनका उचित प्रशिक्षण करवाया जाना आवश्यक है।

(7) **सिलाई की मशीन इत्यादि का वितरण:**

समूह के सभी सदस्यों को अच्छी किस्म मशीने उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि अच्छे ढंग से कार्य कर सके।

(8) **बाज़ार से जोड़ना :**

अपने उत्पाद को बेचने के लिए समूह किसी सरकारी व् निजि सोसाइटी से उचित शर्तों के साथ संबध स्थापित करने लिए तैयार है। विक्रय के लिए लोकल बाजारों के दुकानदारों से जोड़ कर ,मेलों में प्रदर्शनी लगाकर और नेचर अवेयरनेस पार्क में दुकान लगाकर आय कमाने हेतु जोड़ा जाएगा। आधिक उत्पादन होने पर कुल्लू और मनाली बाज़ार के क्षेत्र में दुकानदारों से जुड़ कर कार्य करेगी।

(9) **वितीय संस्थानों एवं संबधित विभागों से जोड़ना :**

व्यवसाय को आगे बढाने के लिए समूह को वितीय संस्थानों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा तथा उन्हें विभिन्न बैंकों द्वारा दी जा रही ऋण सुविधाओं से अवगत करवाया जाएगा तथा परियोजना द्वारा बैंकों से जोड़ा जाएगा।

(10) **बाज़ार की जानकारी:**

उदेयपुर, केलोंग,भुन्तर,कुल्लू और मनाली बाज़ार के क्षेत्र में दुकानदारों के साथ जुड़कर कार्य करेगी।

(11) **अपेक्षित सहायता एवं संसाधन :**

वित्तीय प्रबंधन पूंजीगत व्यवसाय का 75 % परियोजना द्वारा डी जाएगी , शेष 25 % समूह के सदस्यों को वहन करना होगा।

तकनिकी सहायता के लिए गाँव मे ही परियोजना द्वारा उचित प्रशिक्षण का प्रावधान जाएगा।

(12) **अनुमानित लाभ:**

महिलायों के लिए घरेलू रोज़गार उपलब्ध होगा।
समूह के सभी सदस्यों के लिए आजीविका वर्धन का दीर्घ कालीन एवं निरंतर साधन उपलब्ध होगा।
समूह की महिलाएं इस कार्य को खाली एवं अतिरिक्त समय में कर सकती है |

4. आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का वितरण-

1	उत्पाद का नाम	जेकेट और टोपी बनाना।
2	स्वयं सहायता समूह/समान सूची समूह/ सदस्यों की सामूहिक सहमति	हां।

5. उत्पादन की प्रक्रियाओं का विवरण-

सर्वप्रथम स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को परियोजना द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के उपरांत समूह के सदस्य द्वारा उत्पाद तैयार करने में निमन प्रक्रिया की जाएगी:-

टोपी व जेकेट तैयार करने की मशीनें लगवाई जाएगी । इससे समय और उत्पादों की मजदूरी दर का खर्चा कम होगा।

समूह में कुछ सदस्य टोपी बनाने का कार्य करेंगे ,कुछ जेकेट बनाने का कार्य करेगे और कुछ सदस्य कटिंग का कार्य करेगे | समूह में सभी सदस्य विपणन करेंगे और कच्चा माल भी लाएंगे।

प्रशिक्षण के उपरांतसमूह द्वारा निम्नलिखित उत्पादों का कार्य किया जाएगा, जिसका विवरण इस प्रकार से है:-

टोपी-
विभिन्न डिजाइनों की टोपी समूह के सदस्य द्वारा तैयार की जाएगी, सभी सदस्य प्रतिदिन 3 से 4 घंटे काम करेगे |

जेकेट-
विभिन्न डिजाइनों की लेडिज एवं जेंट्स सभी प्रकार के जेकेट समूह के द्वारा तैयार किया जायेगा | सभी सदस्य प्रतिदिन 3 से 4 घंटे काम करेगे |

6. उत्पादन हेतु नियोजन-

प्रति माह कार्य दिवस	:	30 दिवस
प्रति माह काम करने वाले व्यक्ति	:	14 व्यक्ति
कच्चे माल का स्रोत	:	केलोंग,कुल्लू
अन्य संसाधनों का स्रोत	:	केलोंग,कुल्लू

1	**उत्पादन चक्र (दिनों में) 30 दिन प्रतिदिन 3-4घंटे कार्य करेगें**	100 टोपियाँ 300 जेकेट (लेडिज और जेंट्स)
2	**प्रति चक्र कार्यकताओं की आवश्यकता (संख्या)**	**4 सदस्य टोपी के लिए** **6 सदस्य जेकेट के लिए** **4 सदस्य कटिंग के लिए** **कुल 14 सदस्य**
3	**कच्चे माल का स्त्रोत**	केलोंग,उदयपुर,मनाली,कुल्लू
4	**अन्य संसाधनों का स्त्रोत**	केलोंग,कुल्लू ,शमशी, भुन्तर

नोट: स्वयं सहायता समूह के प्रशिक्षण का खर्च परियोजना द्वारा वहन किया जाता है | तथा इस व्यवसाय योजना में शामिल नहीं है|

कच्चे माल की आवश्कता एवं अनुमानित उत्पादन प्रति टोपी –

क्र0	वस्तु का नाम	इकाई	मात्रा	दर	राशि
1	पटटी	से0 मी0	0.20	170	10
2	बुक्रम	से0 मी0	0.40	50	16
3	वुली	से0 मी0	0.20	35	7
4	पेस्टिंग	से0 मी0	0.10	90	10
5	मगजी कपडा	से0 मी0	0.15	30	5
6	बॉर्डर पटटी	इंच	16	140	140
7	सिलाई धागा				45
	जोड़ा				**233**
	सर्विस चार्ज			5%	11.65
	कुल उत्पादन लागत				244.65
	शुद्ध			15%	36.69
	कुल कीमत				**281.34**

कच्चे माल की आवश्कता एवं अनुमानित उत्पादन प्रति जेकेट –

क्र0	वस्तु का नाम	इकाई	मात्रा	दर	राशि
1	पटटी	मीटर	0.80	200	200
2	वुली	मीटर	1.50	30	50
3	पेस्टिंग	मीटर	0.5	80	45
4	बॉर्डर	मीटर	1.5	25	40
5	सिलाई, धागा ,बटन	नग	-	6	30
6	काज की मजदूरी			20	50
7	सिलाई की मजदूरी			100	120
	जोड़ा				**535**
	सर्विस चार्ज			5%	26.75
	कुल उत्पादन लागत				561.75
	शुद्ध			15%	84.26
	कुल कीमत				**646**

7.बिक्री का विवरण-

1.	सम्भावित बाजारों/स्थलों के नाम	केलोंग ,मनाली, कुल्लू और भुंतर
2.	उत्पाद की बिक्री हेतू गांव से दूरी	केलोंग 30 कि0मी0 कुल्लू 136 कि0मी0 मनाली 96 कि0मी0 भुन्तर 144 कि0मी0
4.	बजार को चिन्हित करने की प्रक्रिया	लोकल बाज़ार को चिन्हित किया गया है जैसे की केलोंग,मनाली, कुल्लू और भुंतर।
5.	मौसम मे परिवर्तन के अनुसार उत्पाद की मांग की स्थिति	मांग के अनुसार उत्पादन घटाया या बढाया जाएगा ।
6.	उत्पाद के संभावित खरीदार	स्थानीय निवासी , शहरी लोग , पर्यटक |
7.	क्षेत्र में संभावित उपभोक्ता	गाँव व शेहर की महिलाएँ / पुरुष |
8.	उत्पाद का विपणन तंत्र	सीधा सम्पर्क दुकानदारों से सम्पर्क अपना बिक्री केंद्र मेले मेंस्टाल धर्मिकस्थल
9.	उत्पाद के विपणन हेतु रणनीति	थोक व्यपारी परचून व्यपारी लोकल नेटवर्क सोशल मीडिया में प्रचार

8. समूह के मध्यप्रबंधन का विवरण-

प्रबंधन के लिए नियम बनाए जाएंगे |
समूह के सदस्य आपसी सहमति से कार्यों का बंटवारा करेंगे |
बंटवाराकार्य की कुशलता एवं क्षमता के आधार पर किया जाएगा
लाभ का बंटवारा भी कार्य की गुणवत्ता, कुशलता तथा मेहनत के आधार पर किया जाएगा |
विपणन करने वाले सदस्यों को कुल बिक्री राशि पर 5% कमीशन दी जाएगी |
प्रधान व सचिव प्रबंधन का मूल्यांकन एवं अवलोकन समय-समय पर करते रहेंगे |

शक्ति, दुर्बलता, अवसर तथा चुनौती का विश्लेषण (Swot Analysis)

शक्ति
महिलाओं में कार्य करने की लगन है।
समूह में अनुभवी सदस्य भी है।

दुर्बलता

महिलाएं कृषि व पशुपालन के कार्य भी करती है।
कार्य के लिए 2 से 3 घंटे का समय ही निकाल पाना।
समूह में पहली बार कर रहे हैं।

अवसर

हिमाचल प्रदेश वन परितंत्र प्रबंधन परियोजना से सहयोग व निधि मिलेगी।
प्रशिक्षण से कुशलता व क्षमता में बढ़ोतरी होगी।
उत्पादकों की लोकल व शहरों में मांग है।
कुल्ल, मनाली, उदयपुर, त्रिलोकीनाथ, चंद्रताल पर्यटक स्थल है।

चुनौती
बाजार की स्थिति (डिमांड) को ना समझना।
अन्य उत्पाद केंद्रों से प्रतिस्पर्धा।
उपभोक्ताओं से तालमेल की कमी।
अन्य (कृषि बागवानी व पशुपालन) कार्यों में व्यवस्था।

9. संभावित चुनौतियां तथा उनको कम करने के उपायों का विवरण

क्र0सं0	जोखिमों/चुनौतियों का विवरण	जोखिम कम करने के उपाय
1.	बाजार की स्थिति(डिमांड) को ना समझना।	समय-समय पर बाजार की मांग के अनुसार चलना।
2.	अच्छे उत्पाद तैयार ना करना।	उपभोक्ताओं के मनपसंद उत्पाद तैयार करना।
3.	अन्य उत्पाद केंद्रों से प्रतिस्पर्धा।	अन्य उत्पाद केंद्रों से बेहतर उत्पाद बनाना व शुरू में कम लाभ कमाना।
4.	उपभोक्ताओं से तालमेल की कमी।	उपभोक्ताओं से हमेशा संपर्क में रहना।
5.	कृषि, बागवानी व पशुपालन कार्य में ज्यादा व्यवस्था।	कृषि, बागवानी व पशुपालन और घर के अन्य कार्य में साथ साथ सिलाई में ध्यान देना।
6.	समूह में बंटवारा	समूह मैं बंटवारा कुशलता व क्षमता के आधार पर करना। पारदर्शिता से कार्य करना।
7.	उत्पाद की गुणवत्ता घटने से बिक्री कम हो सकती है।	गुणवत्ता बनाए रखने के लिए समूह को उच्च मापदंड रखने होंगे।

10.परियोजना की अर्थ व्यवस्था का विवरण

पूंजीगत व्यय

क्र0सं0	विवरण	मूल्य(रु में)
1	7 सिलाई मशीने (6000)	42000
2	3 मशीन स्टैंड (2500)	7500
3	5 केंची(500)	2500
4	प्रेस 2(1200)	2400
5	कटर मशीन 1(7000)	7000
	पूंजी व्यय	**61400**

आवर्ती व्यय
(टोपी)

क्र0	वस्तु का नाम	इकाई	मात्रा	दर	राशि	उपेक्षित उतपाद की मात्रा
1	पटटी	मी0	20	170	3400	500
2	बुक्रम	मी0	350	50	17500	
3	वुली	मी0	35	35	1225	
4	पेस्टिंग	मी0	60	90	5400	
5	मगजी कपडा	मी0	30	30	900	
6	कुल्लू बॉर्डर पटटी	16इंच/पीस	500	140	70000	
7	सिलाई धागा	नं0				
	जोड़ा				**98425**	
	सर्विस चार्ज			**5%**	4921.25	
	कुल उत्पादन लागत				**103346.3**	
	शुद्ध			**15%**	15501.94	
	कुल कीमत				**118848.2**	

(जेकेट)

क्र0	वस्तु का नाम	इकाई	मात्रा	दर	राशि	उपेक्षित उतपाद की मात्रा
1	पटटी	मीटर	220	200	44000	300
2	वुली	मीटर	450	30	13500	
3	पेस्टिंग	मीटर	140	80	11200	
4	बॉर्डर	मीटर	410	25	10250	
5	सिलाई, धागा ,बटन	नग	280	6	1680	
6	काज की मजदूरी		300	20	6000	
7	सिलाई की मजदूरी		300	100	30000	
	जोड़ा				**116630**	
	सर्विस चार्ज			**5%**	5831.5	
	कुल उत्पादन लागत				**122461.5**	
	शुद्ध			**15%**	18369.23	
	कुल कीमत				**140830.7**	

अर्थ व्यवस्था का सारांश
उत्पादन की लागत

क्र0	विवरण	धन राशि
1	कुल आवर्ती लागत	**215055**
2	पूंजीगत व्यय पर 10% वार्षिक मूल्य ह्रास	512
	योग	**215567**

अनुमान (विक्रय मूल्य की गणना)

क्र0	विवरण	इकाई	मात्रा	धन राशि
एक टोपी के लिए				
1	उत्पादन की लागत	संख्या	1	240
	निर्धारित लाभ	प्रतिशत	15	36
	कुल (लागत + लाभ)	संख्या	1	**276**
	बाजार भाव	संख्या	1	300
एक जेकेट के लिए				
2	उत्पादन की लागत	संख्या	1	480
	निर्धारित लाभ	प्रतिशत	40	192
	कुल (लागत + लाभ)	संख्या	1	**672**
	बाजार भाव	संख्या	1	900

11. उद्यम हेतु लागत - लाभ विश्लेषण (एक चक्र के लिए)

क0	विवरण	धनराशि (रू)
1	**पूंजीगत व्यय पर 10% वार्षिक मूल्य ह्रास**	512
2	**आवर्ती व्यय**	
	टोपी	98425
	जेकेट	116630
	योग	215055
3	कुल उत्पादन (टोपी)	500
	कुल उत्पादन (जेकेट)	300
4	उत्पादन की बिक्री (टोपी)	500
	उत्पादन की बिक्री (जेकेट)	300
5	उत्पादन की बिक्री से आय (टोपी)(500x276)	138000
	उत्पादन की बिक्री से आय (जेकेट)(300x672)	201600
	योग	339600
6	कुल लाभ =339600-**215567**	215471

12. <u>धन की आवश्यकता</u>

समूह की वित्तीय आवश्यकता :

क0स0	विवरण	कुल व्यय	परियोजना द्वारा अंशदान 75%	समूह द्वारा अंशदान 25%
1	पूंजीगत व्यय	**61400**	46050	15350
	योग	**61400**	46050	15350

परियोजन द्वारा सहायता धनराशि **75** %	46050
लाभार्थी अंश **25**%	15350
कुल	61400

13. <u>सम विच्छेदन बिंदु (ब्रेक इविन प्वाइंट) की गणना</u>

ब्रेक इवन पॉइंट = पूंजीगत व्यय / विक्रय मूल्य – आवर्ती व्यय

= 61400/ 339600 -274955 = 61400/64645

= 0.949 माह = 0.949 X 30 =28 दिन

उपरोक्त अनुपात में "ब्रेक इवन पॉइंट" 28 दिनों में प्राप्त होगा! दुसरे शब्दों में इस गतिविधि में लगी गयी धनराशी 28 दिनों में प्राप्त हो जाएगा |

14. <u>सरस्वती स्वयं सहायता समूह नियमो की सूची-</u>

1. समूह का काम : टोपी और जैकेट बनाना |
2. समूह का पता : **गाँव जुण्डा, डाकघर जाहलमा,तहसील केलोंग, जिला लाहुल स्पिति, हिमाचल प्रदेश |**
3. समूह के कुल सदस्यः **14**
4. समूह की मासिक बैठक हर माह की 1 तारीक को होगी |
5. समूह के सभी सदस्य हर माह की बचत की गई राशि को समूह में जमा करेगें |
6. स्वंय सहायता समूह की बैठक में सभी सदस्य को शामिल होना पड़ेगा |
7. समूह की बैठक में गेर हाज़िर रहने के लिए प्रधान व सचिव को उचित कार्य बता कर अनुमति लेनी होगी |
8. समूह में जो बचत की राशी जमा नहीं करवाते या 3 बेठकों तक समूह से गेर हाज़िर रहते है तो उस व्यक्ति को समूह से निकाल दिया जाऐगा |
9. समूह में जो व्यक्ति कारण बताए वगेर गेर हाज़िर रहता है तो अगली बैठक उस व्यक्ति के घर में होगी जिसका खर्च उस व्यक्ति को खुद करना होगा अगर दो सदस्य होगें तो खर्च मिल कर देना होगा |
10. स्वंय सहायता समूह के प्रधान व सचिव सर्व सहमति से चुने जाऐगें |
11. प्रधान व सचिव बैंक से लेन देन कर सकते है यह पद एक वर्ष तक मान्य होगा |
12. प्रधान, सचिव या सदस्य समूह के विरूद्व कोई काम नही करेगा समूह की रकम का सदा सदुपयोग करेगें |
13. अगर सदस्य किसी कारणवश समूह को छोड़ना चाहता है अगर इस व्यक्ति ने ऋण लिया है तो समूह को वापिस करना होगा तभी समूह को छोड़ समता है अन्यथा नही |
14. ऋण का उदेश्य रकम की चुकोती का समय ऋण की किश्त और ब्याज की दर बैठक में तय की जाएगी |
15. आपातकालीन स्थिति के लिए प्रधान व सचिव के पास कम से कम 1000 रूपये की राशी होनी चाहिए |
16. स्वंय सहायता समूह के रजिस्टर को सभी सदस्यों के सामने पढ़ा व लिखा जाना चाहिए |
17. बड़ें ऋण लेने वालों को एक सप्ताह पहले की सूचना देनी होगी |
18. ऋण जरूरत के समय सभी सदस्यों को मिलना चाहिए |
19. अगर सदस्य बिना कारण से समूह को छोड़ना चाहता है तो उस सदस्य की जमा रही समूह में बांटी जाएगी |
20. समूह को अपनी मासिक रिपोर्ट प्रति माह तकनीकी क्षेत्रीय इकाई (Field Technical Unit) के कार्यालय में देनी
    होगी |

समूह का सहमति पत्र

आज दिनांक 19-09-2022 को स्वयं सहायता समूह" सरस्वती "की बैठक प्रधान"श्रीमती **संतोष** "की अध्यक्षता में हुई। जिसमें समूह के सभी सदस्यों ने सर्वसहमति से यह निर्णय लिया कि समूह की आय को बढ़ाने के लिए"सिलाई" (टोपी व जैकेट) (**Tailoring**) का कार्य और आजीविका सुधार योजना (**JICA**) से जुड़ने की सहमति प्रदान करते है।

प्रधान	**सचिव**
सरस्वती स्वयम सहायता समूह	सरस्वती स्वयम सहायता समूह
जुण्डा	जुण्डा
Santosh	Meena

President
VFDS Baring,
Distt. L&S (H.P.)

1 बबीता
2 देवन्ती
3 सौरता
4 संगीता
5 टशी आंगमो
6 कमला
7 शकुन्तला
8 टशी पालमो
9 किरन
10 रजनी
11 प्रेमलता
12 निर्मला

Range Forest Officer
Pattan Range
Jahalma

Dmu-cum-Division Forest Officer
Lahoul at Keylong

सरस्वती स्वंय सहायता समूह के सदस्यों का फोटोग्राफ-

सन्तोष (प्रधान)	मीना देवी(सचिव)	बबीता	देवन्ती
सरिता	संगीता	टशी अंगमो	कमला देवी
शकुंतला	टशी पलमो	किरन	रजनी
निर्मला	प्रेमलता		

<u>प्रस्ताव</u>

आज दिनांक 2/3/2023 को ग्राम वन विभाग समिति की कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया जिसमे वन विभाग समिति के प्रधान , वन खंड अधिकारी वीरेंदर शर्मा और FTU Coordinator भी शामिल थे | इस बैठक में समूह के सभी सदस्य भी मौजूद थे और यह निर्णय लिया गया की मशीनों के मूल्यों मे हुए बदलाव के करण सर्व सहमती से busniss प्लान को संशोधित किया जाये |

इस सम्बन्ध में समूह द्वारा 61400/- का बिजनेस प्लान प्रस्तुत किया गया |

Meena Devi
संगीता
प्रेमलता
शकुन्तलो
Kamla
Kiran
निर्मला देवी
Santosh

President
VFDS Baring
Distt. L&S (H.P)

Treasurer
VFDS Baring
Distt. L&S (H.P)

Range Forest Officer
Pattan

Dmu-Cum- Division Forest Office
Lahoul at Keylong